

बिहारा सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

ज्ञापांक-C4/STN-(वि/वि/न)-25/2016 762

दिनांक 15/2/17

सी0डब्ल्यूज0सा0 संख्या-71/2016, 1164/2016 एवं 1314/2016 श्रीमती यमुना सिंह बनाम् बिहार राज्य में दिनांक-25.02.2016 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित त्रैनेयित न्यायादेश के आदेशों में दूसरे राज्यों द्वारा जारी अंतरराज्यीय परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की स्थिति में परमिट पर आवृत वाहन का बिहार राज्य का कर, परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की तिथि से देय होगा।

2. प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की वैधता भुगतान किए गए कर की अवधि के संगत होगी।

3. इस हेतु आवेदन के साथ दाखिल शपथ पत्र में इस तथ्य का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा कि परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के पूर्व वाहन का परिचालन बिहार राज्य में नहीं किया गया है।

4. अगर दूसरे राज्यों द्वारा जारी अंतरराज्यीय परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के बिना परमिट पर आवृत वाहन का परिचालन बिहार राज्य में करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे अवैध परिचालन की स्थिति में वाहन पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसे परमिट के प्रतिहस्ताक्षर का आवेदन विभाग में प्राप्त होता है तो ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अगर प्रतिहस्ताक्षर कर दिया गया है तो प्रतिहस्ताक्षर पर्ची रद्द कर दिया जाएगा एवं ऐसे वाहनों को काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।

5. वाहन प्रतिस्थापन की प्रतिहस्ताक्षर की दशा में नए वाहन का कर प्रतिस्थापन के प्रतिहस्ताक्षर की तिथि से देय होगा तथा बिना प्रतिहस्ताक्षर नए वाहन का प्रवेश बिहार राज्य में अवैध होगा। जब तक वाहन प्रतिस्थापन का प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जाता है तब तक पुराने वाहन का कर देय होगा तथा इसके परिचालन की अनुमति होगी।

6. नवीकृत परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की दशा में यदि परमिट का नवीकरण इसकी वैधता अवधि की समाप्ति के बाद किया गया है तो वाहन का कर नवीकृत परमिट के प्रतिहस्ताक्षर की तिथि से देय होगा। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिहस्ताक्षर पर्ची, समय सारणी तथा टैक्स टोकन मूल में जमा करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रतिहस्ताक्षर पर्ची की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद वाहन का परिचालन बिहार राज्य में नहीं किया गया है।

7. वैधता अवधि की समाप्ति के पूर्व ही अगर परमिट का नवीकरण करवा लिया गया है तो कर लगातार अवधि के लिए देना होगा।

7. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

8. इसके आधार पर पूर्व में जमा कर की वापसी का कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

9. प्रतिहस्ताक्षर हेतु दाखिल आवेदन के साथ तीन माह का ऑग्रेम कर का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

10. परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन, परमिट जारी करने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से करना होगा। अन्यथा ऐसा आवेदन रद्द किया जा सकेगा।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-C4/STN-(वि/वि/न)-25/2016 762 पटना दिनांक- 15/2/17

प्रतिलिपि:-सभी राज्यों के सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार/परिवहन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/कम्प्यूटर शाखा, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

E-mail